तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल.आर / 2136 / 2024 / नागौर** **मांगीलाल बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :
श्री जी.एस. लखावत, अभिभाषक प्रार्थी
श्री राजेन्द्र प्रसाद मीना, उप राजकीय अभि0अप्रार्थी

दिनांक : 23–04–2024

निर्णय

यह निगरानी अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 330 / 2024 में पारित आदेश दिनांक 14–03–2024 के विरुद्ध धारा 84 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 901 रकबा 11.2179 हैक्टेयर ग्राम खडकाली में स्थित है। प्रार्थी के खेत में से कोई भी रास्ता स्थायी या अस्थायी सार्वजनिक रूप से कभी भी विद्यमान नहीं रहा परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने अवैधानिक तरीके से राज्य सरकार के परिपत्र को अनुचित रूप से अन्य व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रार्थी के खेत में से स्थायी रास्ता होना कथन कर एक प्रकरण उपखण्ड अधिकारी नागौर के समक्ष प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी नागौर ने बिना सुनवाई का अवसर दिये दिनांक 22–01–2024 द्वारा प्रार्थी के खेत में से रास्ता कायम करने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसमें अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल.आर / 2136 / 2024 / नागौर** **मांगीलाल बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनते हुए अपने आदेश दिनांक 14–03–2024 द्वारा प्रार्थी के स्थगन प्रार्थना पत्र को अपरोक्ष रूप से अस्वीकार कर दिया। उनका तर्क है कि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर के न्यायालय में प्रार्थी ने आदेश दिनांक 22–01–2024 को अपील के माध्यम से आक्षेपित किया था। इससे संबंधित उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में कायम लगभग सम्पूर्ण पत्रावली अपील के साथ प्रस्तुत कर दी तथा ऐसा कोई शेष अभिलेख था नहीं जिसका अवलोकन करना अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर उचित समझते हों। इस प्रकार आदेश दिनांक 14–03–2024 पूर्णतया मनमाना, अविवेकपूर्ण है तथा प्रार्थी को आदेश दिनांक 14–03–2024 के कारण उपचारविहिन कर दिया गया। ऐसी स्थिति में न्यायालय में निहित धारा 9 भू–राजस्व अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर के न्यायालय में अपील के लंबित रहते राजस्व अभिलेख एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने बाबत् आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। उनका यह भी तर्क है कि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर ने बतौर अपीलीय न्यायालय अपने में निहित शक्तियों का समुचित प्रयोग नहीं कर त्रुटि कारित की है। उनके समक्ष स्पष्ट रूप से यह तथ्य सुस्थापित कर दिया गया था कि जमाबन्दी में किसी भी प्रकार का यदि परिवर्तन किया जाता है तो ऐसा परिवर्तन न्यायिक प्रकरण माना जाता है तथा किसी भी न्यायिक प्रकरण में विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है तथा उपखण्ड अधिकारी ने जो आदेश पारित किया, जो अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष अपील में आक्षेपित था। उक्त आदेश को प्रथमदृष्ट्या देखने से ही जाहिर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल.आर / 2136 / 2024 / नागौर** **मांगीलाल बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	होता है कि उपखण्ड अधिकारी ने आदेश दिनांक 22–01–2024 न्यायिक प्रक्रिया अपनाये बिना पारित किया है तथा ऐसे अविधिक आदेश की पालना स्थगित करने के बजाय समस्त अभिलेख पत्रावली पर रहते हुए भी अभिलेख का अवलोकन करने बाबत आदेश पारित कर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने भारी तात्विक अवैधानिकता एवं अनियमितता कारित की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन आदेश दिनांक 14–03–2024 को निरस्त किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के लम्बित रहते उपखण्ड अधिकारी नागौर के आदेश दिनांक 22–01–2024 की पालना एवं प्रभाव को ताफैसला अपील स्थगित कर राजस्व अभिलेख एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये जावें। उप राजकीय अभिभाषक ने निगरानीधीन आदेश को अंतरिम आदेश बताते हुए निगरानी पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने आक्षेपित आदेश दिनांक 14–03–2024 द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकतरफा बहस सुनने के उपरांत रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया जाना उचित समझते हुए रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी करने एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया है, जो एक अंतरिम आदेश है एवं जिसके विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है किन्तु हम न्यायहित में आज की मौके व रेकार्ड की यथास्थिति रखते हुए तीस दिवस में स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को निर्देशित करना उचित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल.आर / 2136 / 2024 / नागौर** **मांगीलाल बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	समझते हैं। अतः यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निर्णीत की जाकर आदेश दिये जाते हैं कि आज की मौके व रेकार्ड की यथास्थिति रखते हुए मौके पर यदि रास्ता चालू है तो चालू रहेगा। तद्नुसार रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखी जावे। साथ ही अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनकर तीस दिवस में स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	